राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः- एफ.4(ई)(1)(4)/विनि.क्षेत्र./अलेसे-III/ 6211-6250 दिनांक 15/9/2014

विज्ञप्ति

विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 2014 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र एफ 2(1) डीओपी/ए-II/ 2014 दिनांक 17.7.2014 की अनुपालना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा के कार्मिकों की भर्ती एवं उक्त क्षेत्र में कार्यरत रहने का विकल्प देने वाले कार्मिकों की पदोन्नति संबंधी कार्यवाही उक्त नियमों के अन्तर्गत ही की जानी है।

विनिर्दिष्ट क्षेत्र *का विवरण निम्नानुसार है :-*

1. डूँगरपुर, बाँसवाड़ा (सम्पूर्ण जिला)
2. प्रतापगढ (छोटी सादडी तहसील को छोड़कर)
3. उदयपुर (उदयपुर शहर, मावली, वल्लभनगर, गिर्वा एवं गोगुन्दा के आशिंक क्षेत्र को छोडकर शेष जिला)
4. सिरोही जिले की आबूरोड पंचायत समिति क्षेत्र

अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिक (सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार) जो उक्त विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भविष्य में सेवा देना अथवा नहीं देना चाहते, अपना विकल्प पत्र संलग्न प्रारूप में अपने कार्यालयध्यक्ष से अग्रेषित करवा कर दिनांक 30.09.2014 तक संबंधित कोषाधिकारी को प्रस्तुत करेंगें।

विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सेवा दिये जाने का विकल्प देने वाले कार्मिकों की सेवाएं एवं पदोन्नति शर्ते विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिद वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 2014 के अनुसार निर्धारित होगी। ऐसे कार्मिकों का स्थानान्तरण एवं पदोन्नति पर पदस्थापन उपरोक्त क्षेत्र से बाहर नहीं किया जावेगा।

ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट में कार्य न करने के संबंध में विकल्प दिया जावेगा उनका विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण /प्रतिनियुक्त उनके स्थान पर वैकल्पिक कर्मचारी के कार्यग्रहण कर लेने के पश्चात ही की जावेगी।

संलग्न- भारत सरकार की अधिसूचना

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I) (अलेसे-I/अलेसे-II) शाखा ।
4. कोषाधिकारी, कोषालय बासंवाडा/ डूंगरपुर/ प्रतापगढ/ उदयपुर (ग्रामीण) / सिरोही उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत समस्त कार्मिकों के विकल्प पत्र प्राप्त किये जाकर इस विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर आपके जिले में कार्य करने वाले कार्मिक यदि उक्त परिक्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हो तो उनके भी विकल्प प्राप्त किये जावें। उक्त विज्ञप्ति को कोषालय/ उपकोषालय में चस्पा करावें एवं समस्त विभागो में प्रेषित किया जाना सुश्चित करें। तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाले एवं न करने वाले स.ले.अ., लेखाकार एवं क.लेखाकार की सूची तैयार कर विकल्प पत्रों के साथ दिनांक 15.10.2014 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त कोषाधिकारी कोषाधिकारी(क्रम स.4 में अंकित कोषाधिकारियों को छोड़कर) विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कार्मिकों के विकल्प पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें।
6. उपनिदेशक, एसीपी को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त क.लेखाकार/लेखाकार/ सहायक लेखाकार ....
8. रक्षित पत्रावली।

(डा.अरविन्द कुमार मिश्रा)

विकल्प पत्र

राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 के तहत विकल्प पत्र

1. मैं...पद..मेरिट नम्बर एवं वर्ष ....लिंक नम्बर..........................संवर्ग................................(अजा / अजजा / अपिव / विपिव / सामान्य) राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 के तहत विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

अथवा

मैं...पद..मेरिट नम्बर एवं वर्ष ....लिंक नम्बर..........................संवर्ग................................ (अजा / अजजा / अपिव / विपिव / सामान्य) राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 के तहत विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए सहमत नहीं हूँ।

हस्ताक्षर कार्मिक

(नाम..)

पदस्थापन कार्यालय...

....

ई–मेल एर्डेस..

मोबाईल नम्बर...

कार्यालयध्यक्ष द्वारा प्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..पद.. पर दिनांक ....से कार्यरत है । इन्होने विनिर्दिष्ट अधिसूचित क्षेत्र में कार्य करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है /नहीं की हैं।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

दिनांकः–

मय सील

14092/451 34

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक : एफ 1(बी)(3)(57)सीटीएडी / 2014 / 1006-71 दिनांक : 30/4/14

निदेशक
कोष एवं लेखा (TAD)
जयपुर

विषय :— अनुसूचित क्षेत्र में रिक्तियों से सम्बन्धित सूचना भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके विभाग के अधीन अनुसूचित क्षेत्र में सृजित एवं रिक्त पदों की जिलेवार सूचना संलग्न प्रारूप में शीघ्र भिजवाने का श्रम करावें। अनुसूचित क्षेत्र से सम्बन्धित भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.02.1981 की प्रति संलग्न है।

आपके विभाग / जिले की सूचना भिजवाये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना है :-

1. अनुसूचित क्षेत्र से आशय अर्थात डूँगरपुर, बाँसवाड़ा (सम्पूर्ण जिला) प्रतापगढ़ (छोटी सादडी तहसील को छोडकर) उदयपुर (मावली, वल्लभनगर, गिर्वा एवं गोगुन्दा के आंशिक क्षेत्र को छोडकर) तथा सिरोही जिले की आबूरोड पंचायत समिति का क्षेत्र है। (भारत सरकार की अधिसूचना की प्रति संलग्न)
2. अनुसूचित क्षेत्र में स्थित / कार्यरत सरकारी विभागों / उपक्रमों में सृजित एवं रिक्त पदों की ही सूचना संलग्न प्रारूप में देनी है।
3. उक्त सूचना सिर्फ अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग के लिए ही देनी है, राज्य सेवा के लिए नहीं।
4. उक्त सूचना राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.06.2013 (प्रति संलग्न) में वर्णित अनुसूचित क्षेत्र के लिए सेवाओं में अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधानों को लागू कराने हेतु आवश्यक है।

अतः वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में दिनांक 09.05.2014 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न –

1– अनुसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.02.1981
2– जिलों / उपखण्डों / तहसीलों के पुर्नगठन से सम्बन्धित राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.01.2008
3– कार्मिक विभाग का TSP क्षेत्र में आरक्षण सम्बन्धी आदेश दिनांक 16.06.2013
4– कार्मिक विभाग का आदेश दिनांक 18.03.2013
5– प्रारूप –1

भवदीय

30.4.14
(जमील अहमद कुरैशी)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

URGENT 8/05

Addl Dir (P-II)

1 SAHELI MARG, CHETAK CIRCLE, UDAIPUR EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2411417
E- Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in

Est Letter 2

क्रमांक:- F13( ) कोष/प्रशा/ 838-841 दिनांक 12-05-2014

प्रतिलिपि:- अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक-I (SAS-I शाखा/SAS-II शाखा), अति० निदेशक (कार्मिक-II) / संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को भिजवाकर लेख है कि वांछित सूचना निर्धारित में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
निदेशालय कोष एवं लेखा
राजस्थान, जयपुर

Received today
14.5.14

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग II-खण्ड 3-उपखण्ड (i)
प्राधिकार से प्रकाशित

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12 1981/माघ 23, 1902

2- नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुन: परिनिश्चित किया जाता है :-

1 बांसवाड़ा जिला

2 डूंगरपुर जिला

3 उदयपुर जिले में निम्नलिखित :

क) फलासिया, खेरवाड़ा, कोटरा, सराडा, सलुम्बर और ऋषभदेव की तहसीलें

ख) गिरवा तहसील के नीचे वर्णित इक्यासी ग्राम :

1) सिसरमा पंचायत के सिसरमा, देवाली, बलीचा, सेठजी की कुंडल, रेयता, कोडियत और पीपलिया ग्राम

2) बुजरा पंचायत के बुजरा, नया गरहा, पोपलती और नया खेड़ा ग्राम

3) नई पंचायत का नई ग्राम

4) डोडावली पंचायत के, डोडावली, कालीवास, करनाली, पुराना, बोराबारा का खेरा मादरी, बछार, और डेली ग्राम

5) बड़ी उंदरी पंचायत के बड़ी उंदरी, छोटी उंदरी, पीपलवास और कुम्हारिया खेड़ाग्राम

6) अलसीगढ पंचायत के अलसीगढ, पई और बार ग्राम

7) पडूना पंचायत के पडूना, अमरपुरा और पराला ग्राम

8) चनावदा पंचायत का चनावदा ग्राम

9) सारु पंचायत के सारु और बरन ग्राम

10) तीरी पंचायत के तीरी, बोरिकुआ और गोजिया ग्राम

11) जावर पंचायत के जावर, रावन, धावरी तलाई, नया खेड़ा, कानपुर और उदयखेड़ाग्राम

12) बारापाल पंचायत के बारापाल, तीराना, तालाब और कादिया खेतग्राम

13) काया पंचायत के काया और चान्दनी ग्राम

14) तीतरदी पंचायत के तीतरदी, कादा, चिलिया, दाकनकोटरा, टोलियों की पट्टी और सबीनाखेड़ा ग्राम

15) कानपुर पंचायत का कानपुर ग्राम

16) बली पंचायत के बली, बूंदेल, लालपुरा, परावाल, खेरी और जसपुरा ग्राम

17) चन्दसा पंचायत के चन्दसा, दमारों का गुडा, नामदेव, भातरकोटड़ा, नाथपुरा गुजारन नाथपुरा मीनान, जालो का गुरहा, खारबा, मानपुरा और जोधागुरिया ग्राम

18) जगत पंचायत का जगत ग्राम

19) दतीसर पंचायत के दतीसर, रुनीज, बसू और रोड़ा ग्राम

20) लकड़वास पंचायत के लकड़वास और परीला ग्राम

21) भाला का गुरहा पंचायत के भाला का गुरहा, कारोट, भोसारदा और बिरठीग्राम

4 चित्तोड़गढ जिले में प्रतापगढ तहसील

5 सिरोही जिले में आबूरोड़ तहसील का आबूरोड़ ब्लाक

3 पूर्ववर्ती पेरा में किसी प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी भी निर्देश का, चाहे वह किसी भी नाम से दर्शित हो इस प्रकार अर्थ किया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारम्भ पर यथाविद्यमान उस नाम के प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है।

नीलम संजीव रेड्डी
राष्ट्रपति

।। आयुक्त, जन जाति क्षेत्रीय, वि0 उदयपुर ।।

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

प्रकोष्ठाधिकारी, प्रकोष्ठ 1, 2, 3, 4, 5, 6

जिलाधीश उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तोड़गढ, सिरोही, डूंगरपुर

परियोजना निदेशक, जन जाति क्षेत्रीय विकास अभिकरण---------

अतिरिक्त आयुक्त